न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली.

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 1923 / 2015

वादीगण

1. मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल के कायम मुकामात

1/1 नैनी देवी पत्नि मिश्रीलाल

1/2 धनकी देवी पत्नि मांगीलाल जाति घांची निवासी हाडिया कुआं सोजतसिटी तह0 सोजत

1/3 रेखा पुत्री मांगीलाल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति घांची नि0 जोधपुरिया गेट के बाहर सोजतसिटी तह0 सोजत

1/4 सुगना पुत्री मांगीलाल पत्नी रमेश जाति घांची नि0 बिलाड़िया गेट के बाहर सोजतसिटी तह0 सोजत

1/5 संगीता पुत्री मांगीलाल पत्नी रमेश जाति घांची नि0 बेरा अढूनिया सोजतसिटी तह0 सोजत

1/6 काजल पुत्री मांगीलाल

1/7 पिंकी पुत्री मांगीलाल

1/8 पूजा पुत्री मांगीलाल

1/9 मनीषा पुत्री मांगीलाल

1/10 सरस्वती पुत्री मांगीलाल

1/11 दिव्या पुत्री मांगीलाल

1/12 कमलेश पुत्र मांगीलाल

1/13 प्रवीण पुत्र मांगीलाल नाबालिक की कुदरती वलिया माता श्रीमति धनकी देवी पत्नी मांगीलाल जाति घांची निवासी हाडिया कुआं, सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र गीदाराम
2. राणाराम पुत्र सूराराम
3. नेमाराम पुत्र सूराराम
4. कमलादेवी पत्नी सूराराम जातियान घांची निवासीगण हाडिया कुआं सोजतसिटी तह0 सोजत
5. केलीदेवी पुत्री सूराराम पत्नी चन्द्राराम जाति घांची निवासी चौधरियो का बास, सोजतसिटी तह0 सोजत
6. शांति पुत्री सूराराम पत्नी नत्थाराम जाति घांची निवासी घांचीयो की बड़ी हथाई सोजतसिटी तह0 सोजत
7. इन्द्रा देवी पुत्री सूराराम पत्नी सुरेशचन्द जाति घांची निवासी हाडिया कुआ सोजतसिटी तह0 सोजत
8. कुताराम पुत्र लिम्बाराम जाति घांची निवासी बेरा ढीमड़ी, धीनावास तह0 सोजत
9. खरताराम पुत्र सेसाराम जाति घांची निवासी पाली दरवाजा के अन्दर, सोजतसिटी तह0 सोजत
10. विरदाराम पुत्र शंकरलाल
11. गवरीदेवी पत्नी ढगलाराम
12. प्रकाश पुत्र ढगलाराम जातियान घांची निवासीगण आदेश्वर मंदिर के पास, सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
13. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री शरीफ घोसी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 09 उपस्थित।
3. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 22.03.2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम की हक, हकूक, खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3039 से 3043 तथा 3045 से 3063 कुल खसरा 24 रकबा 16.7300 हैक्टर की किस्म चा0दो0 जा0 सो0 गै0मु0 रास्ता तेड बेरा रास्ता व बजंट की कृषि भूमि

उप खण्ड अधिकारी सोजत

आयी हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सेटलमेंट के पुराने खसरा नम्बर 178 रकबा 68 बीघा 3 बिस्वा से मिलकर बनी जिसमें मालिया, नारायण पिसरान नैनाराम का 1/2 हिस्सा, लमिया पुत्र जीता का 1/4 हिस्सा, शंकर पुत्र पोकर का 1/4 हिस्सा था। वादी के पिता मिश्रीलाल का दिनांक 06.06.2013 को देहान्त हो चुका है तथा उनका वारिस होने के नाते उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सेटलमेंट के पुराने खसरा नम्बर 178 रकबा 68 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि में से खातेदार नारायण पुत्र नैना का 1/4 का 1/2 हिस्सा यानि 1/8 हिस्सा वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री दिनांक 24.03.1969 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तकरण संख्या 537 वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जो जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 में दर्ज है तथा इसी जमाबंदी के आधार पर पर्चा लगान संख्या 311 कायम किया गया । जिसमें भी वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम 1/8 हिस्सा दर्ज सुदा है। वादी के पिता द्वारा बुधाराम गोदी मालाराम से जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री से 1/24 वां हिस्सा खरीद किया जो म्यूटेशन संख्या 2772 दिनांक 27.10.2009 से वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया गया इस प्रकार वादी का उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का 1/8 + 1/24 यानि सम्पूर्ण आराजीयात में 1/6 वां हिस्सा हक, हकूक, खातेदारी का आता है। उक्त वर्णित भूमि के सहखातेदार बुधाराम गोदी मालाराम ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती हेतु सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर के समक्ष 13/06/1979 को प्रस्तुत किया जो पत्रावली संख्या 1458/79 पर दर्ज किया जाकर अन्य सहखातेदारान को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात् सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् दिनांक 22/06/1979 को निर्णय पारित कर यह आदेश दिया गया कि पर्चा लगान संख्या 311 में मालाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर बुधाराम गोदी मालाराम दर्ज किया जाकर शेष खाता बदस्तुर रखते हुए तरमीम पर्चा जारी किया जावें। सेटलमेंट अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 22/06/1979 के अनुसार पर्चा लगान संख्या 311 के अनुसार तरमीम पर्चा जारी किया गया जिसमें मालाराम पुत्र नैनाराम के स्थान पर बुधाराम गोदी मालाराम दुरूस्त किया गया । लेकिन साथ ही सेटलमेंट अधिकारी की त्रुटि व स्लीफ ऑफ पैन की वजह से वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पोकरराम नाम से दर्ज कर दिया गया । सेटलमेंट अधिकारी को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। दिनांक 22/06/1979 पारित निर्णय से भी ऐसा किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया कि मिश्रीलाल के स्थान पर मांगीलाल नाम दर्ज कर दिया जावें। जिससे यह स्पष्ट है कि सैटलमेंट अधिकारी द्वारा तरमीम पर्चा जारी करते समय त्रुटिवश मिश्रीलाल के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पोकरराम नाम दर्ज कर दिया तथा पोकरराम के मांगीलाल नाम की किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। मांगीलाल पोकरराम का पौत्र है। सेटलमेंट अधिकारी द्वारा की गई गलती को वादी पुनः दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। सेटलमेंट के पश्चात् तथा तरमीम पर्चा के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2052 को तैयार किया गया जिसमें मांगीलाल पुत्र पोकरराम 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया जो जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2052 में दर्जसुदा, जो मांगीलाल पुत्र पोकरराम सेटलमेंट अधिकारी की गलती की वजह से दर्ज किया गया है जबकि उक्त हिस्सा मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का था इसके पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 तैयार की गई जिसमें वादी का सम्पूर्ण हिस्सा डिलीट कर दिया गया यानि मांगीलाल पुत्र पोकरराम को भी खातेदारी से हटा दिया गया ऐसा करने का राजस्व अधिकारियों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है न ही राजस्व अधिकारियों को किसी की खातेदारी अधिकार प्रदान करना या किसी की खातेदारी डिलीट करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त हैं इस प्रकार राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाते हुए मांगीलाल पुत्र पोकरराम का नाम जो वादी के पिता का हिस्सा था उसे खातेदारी से हटा दिया गया तथा सेटलमेंट अधिकारी की गलती की वजह से मिश्रीलाल के स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी ओसियां

मांगीलाल दर्ज कर दिया गया जिसे वादी दुरूस्त करवाने तथा मिश्रीलाल पुत्र मांगीलाल 1/8 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी के पिता द्वारा जो 1/24 वां हिस्सा बुधाराम पुत्र मालाराम से खरीद किया गया वो राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा है लेकिन पूर्व में जो 1/8 वां हिस्सा जो नारायण पुत्र नैनाराम से खरीद किया उसकी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है इसलिये यह वाद खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का हाजा न्यायालय में पेश किया। बिनाय दावा दिनांक 20.10.2015 तथा दिनांक 19/10/2015 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का 1/8 हिस्सा कम दर्ज किया गया जिसे शुद्धि कराने हेतु प्रतिवादीगण को आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दुरूस्ती इनके द्वारा करवाया जाना संभव नहीं होने पर वाद कारण बमुकाम सोजत उत्पन्न हुआ जो अंदर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 3039 लगायत 3043 तथा 3045 से 3063 कुल खसरा 24 रकबा 16.7300 हैक्टर कृषि भूमि में वादी के पिता मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का 1/8 + 1/24 यानि सम्पूर्ण आराजीयात में 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर दर्ज किये जावे तथा मिश्रीलाल का देहान्त हो चुका है इसलिये उनके स्थान पर विधिक वारिसानों के नाम किये जाने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री/स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिसे दिनांक 04.01.2016 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। दिनांक 24.03.2021 को वादी का देहान्त होने से प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार कर वादी के विधिक वारिसानों बतौर वादीगण पक्षकार संयोजित कर का0मु0 रेकर्ड पर लिया गया तथा संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। दिनांक 22.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तथा दिनांक 30.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 10 से 12 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 09.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 9 का जबाब दावा का अवसर समाप्त कर जबाब दावा बंद किया गया। जबाब दावा के अभाव में तनकियात कायम नहीं की जाकर शहादत वादीगण हेतु पत्रावली मुकर्रर हुई।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादीया स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2054 से 57 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3, मूल बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श–4 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–4ए, नामान्तरकरण संख्या 2772 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–5, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 05.10.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2033–52 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–7, जमाबंदी सम्वत् 2046–49 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–8, जमाबंदी सम्वत् 2070–73 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–9, जमाबंदी सम्वत् 2066–69 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–10, जमाबंदी सम्वत् 2026–29 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–11, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतिलिपि. प्रदर्श–12, एआरओ साहब की मिलान मिसल संख्या 1458/79 की की सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका दिनांक 22.08.1979 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–13 है। तरमीम पर्चा सम्वत 2036 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–14 है। पर्चा खतौनी 311 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–15 है, पेश किये है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत

जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही। शहादत प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से दिनांक 21.02.2022 को शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के दादा मिश्रीलाल का 1/6वां हिस्सा आता है। सैटलमेंट अधिकारियों ने त्रुटिवश मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पोकरराम नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि पोकरराम के मांगीलाल नाम की कोई संतान नहीं थी तथा जमाबंदी सम्वत 2046 से 49 में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा डिलीट कर दिया गया अर्थात मांगीलाल पुत्र पोकरराम को राजस्व रेकर्ड से खातेदारी के हटा दिया गया। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। मिश्रीलाल द्वारा 1/24 वां हिस्सा बुधाराम पुत्र मालाराम से खरीद किया गया, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। किन्तु पूर्व में जो 1/8 हिस्सा का नारायणलाल पुत्र नेनाराम से खरीद किया गया उसकी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। मिश्रीलाल का देहान्त हो चुका है। जिनके नाम से 1/8 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाने तथा राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का सम्पूर्ण आराजीयात में (1/8 + 1/24) = 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने का तथा उनके विधिक वारिसानों का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 ने वादी के कथनों को मिथ्या व झूठा बताया व अपने कथनों के समर्थन में ठोस साक्ष्य सबूत के दस्तावेजात पेश करने में विफल रहे है जिससे वाद खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात शहादत का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–12 भू0प्रबन्धन विभाग का खसरा मिलान में बुधाराम गोद माला 1/4, मिसरीया पुत्र पोकर 1/8, गीदाराम वल्द लुम्बाराम, भंवराराम वल्द गीदा राम 1/8, लिमाराम वल्द जीता राम 1/4, शंकर राम वल्द पोकरराम 1/4, मिसरीया वल्द पोकरराम 1/8 दर्जसुदा है। तरमीम पर्चा पदर्श – 14 के कालम संख्या 3 व 4 में मिश्रीलाल वल्द पोकर राम के स्थान पर मांगीलाल वल्द पोकरराम दर्जसुदा है। इसी प्रकार पर्चा खतौनी प्रदर्श–15 में मिश्रीलाल वल्द पोकरराम के स्थान पर मांगीलाल वल्द पोकरराम दर्जसुदा है। जिसमें मिश्रीलाल का 1/8 हिस्सा होना साबित होता है। जमाबंदी सम्वत 2033–52 में भी दर्ज है, किन्तु मिश्रीलाल के स्थान पर मांगीलाल दर्ज कर दिया गया है। जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 के प्रदर्श–1, व 2058 से 2061 प्रदर्श–2, 2046–49 प्रदर्श–8 में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा हटा दिये जाने की पुष्टि होती है। मिश्रीलाल द्वारा 1/24 वां हिस्सा बुधाराम पुत्र मालाराम से खरीद किया गया। बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श–6 व इसकी छायाप्रति प्रदर्श–6ए है। उक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा है। किन्तु नारायण पुत्र नेना से जरिए बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श–4 व जिसकी छाया प्रति प्रदर्श–4ए है, खरीद वादस्थ भूमि से 1/8 हिस्से का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हुआ है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से ये पुष्टि होती है कि मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का वादस्थ भूमि में नारायण पुत्र नेना से जरिए रजिस्ट्री बेचान दिनांक 24.03.1969 को खरीद किये गये 1/8 हिस्से में पहले तो मांगीलाल पुत्र पोकरराम गलत दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2046–49 में सम्पूर्ण हिस्से को हटा दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का वादस्थ भूमि में जरिए बेचान रजिस्ट्री दिनांक 24.03.1969 खरीद किये गये 1/8 हिस्से व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/24 सहित (1/8 + 1/24) = 1/6 हिस्से का (चूंकि मिश्रीलाल का देहान्त हो चुका है।) मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम के विधिक वारिसानों (वादीगण) को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर डिकी पारित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में खसरा नम्बर 3039 से 3043 तथा 3045 से 3063 कुल खसरा 24 रकबा 16.7300 हैक्टर किस्म कृषि भूमि में मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का वादस्थ भूमि में जरिए बेचान रजिस्ट्री दिनांक 24.03.1969 खरीद किये गये 1/8 हिस्से व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/24 अर्थात (1/8 + 1/24) = 1/6 सहित कुल 1/6 हिस्से का (चूंकि मिश्रीलाल का देहान्त हो चुका है।) मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम के विधिक वारिसानों (वादीगण) को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

डिकी बमुकदद्में इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी

1. मांगीलाल पुत्र मिश्रीलाल के कायम मुकामात
   - 1/1 नैनी देवी पत्नि मिश्रीलाल
   - 1/2 धनकी देवी पत्नि मांगीलाल जाति घांची निवासी हाडिया कुआं सोजतसिटी तह0 सोजत
   - 1/3 रेखा पुत्री मांगीलाल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति घांची नि0 जोधपुरिया गेट के बाहर सोजतसिटी तह0 सोजत
   - 1/4 सुगना पुत्री मांगीलाल पत्नी रमेश जाति घांची नि0 बिलाड़िया गेट के बाहर सोजतसिटी तह0 सोजत
   - 1/5 संगीता पुत्री मांगीलाल पत्नी रमेश जाति घांची नि0 बेरा अढूनिया सोजतसिटी तह0 सोजत
   - 1/6 काजल पुत्री मांगीलाल
   - 1/7 पिंकी पुत्री मांगीलाल
   - 1/8 पूजा पुत्री मांगीलाल
   - 1/9 मनीषा पुत्री मांगीलाल
   - 1/10 सरस्वती पुत्री मांगीलाल
   - 1/11 दिव्या पुत्री मांगीलाल
   - 1/12 कमलेश पुत्र मांगीलाल
   - 1/13 प्रवीण पुत्र मांगीलाल नाबालिक की कुदरती वलिया माता श्रीमति धनकी देवी पत्नी मांगीलाल जाति घांची निवासी हाडिया कुआं, सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादी

1. भंवरलाल पुत्र गीदाराम
2. राणाराम पुत्र सूराराम
3. नेमाराम पुत्र सूराराम
4. कमलादेवी पत्नी सूराराम जातियान घांची निवासीगण हाडिया कुआं सोजतसिटी तह0 सोजत
5. केलीदेवी पुत्री सूराराम पत्नी चन्द्राराम जाति घांची निवासी चौधरियो का बास, सोजतसिटी तह0 सोजत
6. शांति पुत्री सूराराम पत्नी नत्थाराम जाति घांची निवासी घांचीयो की बड़ी हथाई सोजतसिटी तह0 सोजत
7. इन्द्रा देवी पुत्री सूराराम पत्नी सुरेशचन्द जाति घांची निवासी हाडिया कुआ सोजतसिटी तह0 सोजत
8. कुताराम पुत्र लिम्बाराम जाति घांची निवासी बेरा ढीमड़ी, धीनावास तह0 सोजत
9. खरताराम पुत्र सेसाराम जाति घांची निवासी पाली दरवाजा के अन्दर, सोजतसिटी तह0 सोजत
10. विरदाराम पुत्र शंकरलाल
11. गवरीदेवी पत्नी ढगलाराम
12. प्रकाश पुत्र ढगलाराम जातियान घांची निवासीगण आदेश्वर मंदिर के पास, सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
13. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत जिला पाली राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (मुहर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 1923/2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र देव व श्री भगवतीप्रसाद चौहान तथा श्री शरीफ घोषी अधि0 प्रति0 संख्या 9 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में खसरा नम्बर 3039 से 3043 तथा 3045 से 3063 कुल खसरा 24 रकबा 16.7300 हैक्टर किस्म कृषि भूमि में मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम का वादस्थ भूमि में जरिए बेचान रजिस्ट्री दिनांक 24.03.1969 खरीद किये गये 1/8 हिस्से व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/24 अर्थात (1/8 + 1/24) = 1/6 सहित कुल 1/6 हिस्से का (चूंकि मिश्रीलाल का देहान्त हो चुका है।) मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम के विधिक वारिसानों (वादीगण) को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व

उप खण्ड अधिकारी सोजत

डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.03.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.